

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115 ]  
No. 115 ]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 1997/फाल्गुन 5, 1918  
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 1997/PHALGUNA 5, 1918

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1997

का. आ. 144 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (235वां संशोधन) नियम, 1997 है।
- (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, —

(क) “नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “क. नागर विमानन विभाग” उप-शीर्षक के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

- “1. वायुयान और वायु दिक्खालन, हवाई अड्डों की व्यवस्था, हवाई यातायात और हवाई अड्डों का, वायु दिक्खालन से संबंधित स्वच्छता नियंत्रण के सिवाय विनियमन और संगठन।
2. वायु दिक्खालन से संबंधित तथा अन्य सहायता की व्यवस्था।
3. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन।
4. इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन (आई. सी. ए. ओ.)।
5. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई. ए. टी. ए.)।
6. कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी. ए. टी. सी.)।
7. कामनवेल्थ एडवाइजरी एरोनाटिकल रिसर्च काउंसिल (सी. ए. ए. आर. सी.)।
8. एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी समनुषंगी।

9. इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और इसकी समनुषंगी।
  10. भारतीय होटल निगम और इसकी समनुषंगी।
  11. आयुक्त रेल सुरक्षा।
  12. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि. प्रा.)।
  13. पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड और इसकी समनुषंगी।
  14. कृषि विमानन।
  15. नागर विमानन महानिदेशालय।
  16. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी।
  17. वायुदूत लिमिटेड।
  18. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो।
  19. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) का प्रशासन।
  20. सिविल उपयोग के लिए वायुयान और वायुयान-षटकों का उत्पादन।
  21. सिविल वायुयान के उपयोग के लिए तकनीकी अनुज्ञप्तियां/प्रमाण पत्र/अनुमोदन जारी करना।
  22. निजी विमान परिवहन (स्थोरा सहित) उद्योग।
  23. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध।
  24. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।
  25. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इसमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें सम्मिलित नहीं हैं।
  26. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से सम्बद्ध संधियों और करारों का कार्यान्वयन।”;
- (ख) “वित्त मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “क. आर्थिक कार्य विभाग” उपशीर्षक के नीचे,—
- (i) प्रविष्टि 21 का लोप किया जाएगा;
  - (ii) प्रविष्टि 52 का लोप किया जाएगा;
  - (iii) प्रविष्टि 64 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “64क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15)”;
- (ग) “उद्योग मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “ग. भारी उद्योग विभाग” उपशीर्षक के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
1. दि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., रांची।
  2. दि माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि., दुर्गापुर।
  3. दि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.।
  4. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.।
  5. एच. एम. टी. बियरिंग्स लि.।
  6. एच. एम. टी. लिमिटेड।
  7. एच. एम. टी. इंटरनेशनल लि.।
  8. स्कूटर्स इंडिया लि.।
  9. मारुति उद्योग लि.।
  10. एन्ड्रू यूल एंड कं. लि.।

11. भारत ऑप्टैल्मिक ग्लास लि. ।
12. भारत लैदर कार्पोरेशन ।
13. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. ।
14. साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. ।
15. हिन्दुस्तान केबल्स लि. ।
16. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. ।
17. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कं. लि. ।
18. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. ।
19. हुगली प्रिंटिंग कं. लि. ।
20. इंसट्रुमेंटेशन लि. ।
21. दि मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लि. ।
22. नागालैंड पल्प एंड पेपर कं. लि. ।
23. नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. ।
24. दि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. ।
25. नेशनल इंसट्रुमेंट्स लि. ।
26. एन. ई. पी. ए. लिमिटेड ।
27. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंसट्रुमेंट्स लि. ।
28. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. ।
29. दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि. ।
30. टैनरी एंड फुटवीयर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. ।
31. टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ।
32. प्राग टूल्स लि. ।
33. रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ।
34. सांभर साल्ट्स लि. ।
35. फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट ।
36. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड ।

**समनुषंगी :**

- (i) भारत ब्रेक्स एंड चाल्वज लिमिटेड ।
- (ii) भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ।
- (iii) भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि. ।
- (iv) ब्रैथवेट एण्ड कं. लि. ।
- (v) बर्न स्टैंडर्ड कं. लि. ।
- (vi) जैसप एण्ड कं. लि. ।
- (vii) दि लैगन जूट मशीनरी कं. लि. ।

(viii) ब्रैथवेट, बर्न हण्ड जैसप कंसट्रक्शन लि.।

(ix) रेरोल बर्न लि.।

(x) वेबर्ड (इंडिया) लि.।

37. भारत यंत्र निगम लि.।

**समनुषंगी :**

(i) दि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., इलाहाबाद।

(ii) दि तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स (इंडिया) लि.।

(iii) दि भारत हैवी प्लेट्स एण्ड चैसल्स लि.।

(iv) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि.।

(v) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.।

(vi) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी ' ';

(घ) "जल-भूतल परिवहन मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

**I भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के भीतर आने वाले निम्नलिखित विषय :**

1. समुद्रीय नौवहन और नौपरिवहन, धाणिष्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था।
2. दीपसम्भ और द्वीपपोत।
3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) का प्रशासन और महापत्तन के रूप में घोषित पत्तन।
4. मोटर गाड़ियों का अनिवार्य बीमा।
5. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का प्रशासन।
6. राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
7. नौवहन और नौपरिवहन जिसके अंतर्गत ऐसे अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल का वहन है, जो संसद द्वारा विधि द्वारा यंत्रनोदित जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलपथ घोषित किए गए हैं, ऐसे जलमार्गों पर मार्ग नियम।
8. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग।
9. मत्स्य ग्रहण नौका उद्योग।
10. प्लवमान-यान उद्योग।

**II संघ राज्य-क्षेत्रों की बाबत :**

11. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग।
12. नगरपालिका सीमाओं अथवा किसी अन्य संलग्न जोन में ऊंची हुतगामी ट्राम सहित ट्रामवे।
13. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात।
14. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर यानों पर कराधान।
15. यंत्रनोदित यानों से भिन्न यान।

**III अंदाजित व निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में :**

16. मुख्यभूमि द्वीपों और द्वीपों के बीच पोत परिवहन सेवा का संगठन और अनुरक्षण।

**IV. अन्य विषय जिन्हें पूर्ववर्ती उप-शीर्षकों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है :**

17. केन्द्रीय सड़क निधि।
18. सड़क संकर्मों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान।
19. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त-पोषित सड़क संकर्म जिनके अंतर्गत संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग-1 और II में विनिर्दिष्ट असम और मेघालय राज्यों के जन-जातीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों और सड़क संकर्म नहीं हैं।
20. मोटर यान विधान।
21. अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्रनोदित जलयान विषयक नौवहन और नौपरिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल के वहन के संबंध में विधान।
22. सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की योजना।
23. मोटर परिवहन और अंतर्देशीय जलपरिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी समितियों का उन्नयन।
24. गांधीधाम नगरी का विकास।
25. लघु और महापत्तनों के विकास के समन्वय और उससे संबंधित विधान।
26. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) तथा उसके अधीन बनायी गई स्कीम का प्रशासन जिसके अंतर्गत डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 नहीं है।
27. एफ. ओ. बी./एफ. ए. एस. पर स्थोरा के आयात तथा सी. एंड एफ./सी. आई. एफ. आधार पर निर्यात के संबंध में भारत सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/राज्य सरकारों/राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन का प्रबन्ध करना।
28. पत्तनों, पोत परिवहन, सड़कों और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निजीकरण विषयक नीति बनाना।

**V. अधीनस्थ कार्यालय :**

29. पोत परिवहन महानिदेशालय।
30. अंदाजमान लक्षद्वीप बन्दरगाह संकर्म।
31. दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय।
32. लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन।

**VI. स्वशासी निकाय :**

33. मुम्बई, कलकत्ता, कोचि, कांडला, चेन्नई, मोरमुगाव, जवाहरलाल नेहरू (नवा शेवा), पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम और न्यू मंगलौर स्थित पत्तन न्यास।
34. कलकत्ता, काण्डला, चेन्नई, मोरमुगाव और विशाखापट्टनम स्थित गोदीश्रम बोर्ड।
35. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण।
36. नाविक भविष्य विधि संगठन।
37. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

**VII. सोसाइटियां/संगम :**

38. राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान।
39. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र।
40. राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान।
41. सीफेरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी।

**VIII. पब्लिक सेक्टर उपक्रम :**

42. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
43. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.।
44. कोचीन शिपयार्ड लि.।
45. सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लि.।
46. भारतीय सड़क निर्माण निगम।
47. ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
48. हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लि.।

**IX. अंतर्राष्ट्रीय पहलू**

49. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन।

**X. अधिनियम :**

50. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15)
51. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)
52. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9)
53. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64)
54. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)
55. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44)
56. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38)
57. मासिक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4)
58. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82)
59. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)
60. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68)
61. माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 (1993 का 28)'' ;

(ख) "कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 35 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :

"36. विधि और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।"

शंकर दयाल शर्मा

राष्ट्रपति

[फाइल सं. 1/22/1/97-मंत्रि.]

धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

**CABINET SECRETARIAT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 1997

**S.O. 144(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and thirty fifth Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (NAGAR VIMANAN AUR PARYATAN MANTRALAYA)", UNDER THE SUB-HEADING "A. DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN VIBHAG)", for the exiting entries, the following entries shall be substituted, namely :—

- "1. Aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitized control of air navigation.
2. Provision of navigational and other aids relating to air navigation.
3. Carriage of passengers and goods by air.
4. International Civil Aviation Organisation (ICAO).
5. International Air Transport Association (IATA).
6. Commonwealth Air Transport Council (CATC).
7. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council (CAARC).
8. Air India Limited and its subsidiaries.
9. Indian Airlines Limited and its subsidiaries.
10. Hotel Corporation of India and its subsidiaries.
11. Commissioners of Railway Safety.
12. Airports Authority of India (AAI).
13. Pawan Hans Helicopters Limited and its subsidiaries.
14. Agricultural Aviation.
15. Directorate General of Civil Aviation.
16. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi.
17. Vayudoot Limited.
18. Bureau of Civil Aviation Security.
19. Administration of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).
20. Production of aircraft and aircraft components for civil use.
21. Issuing of technical licences/certificates/approval for the use of civil aircraft.
22. Private Air Transport (including Cargo) Industry.
23. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.
24. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.
25. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.
26. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list."

(b) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)",—

- (i) entry 21 shall be omitted;
- (ii) entry 52 shall be omitted;
- (iii) after entry 64, the following entry shall be inserted, namely :—

"64A. Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).";

(c) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)", under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (BHARI UDYOG VIBHAG)", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

1. The Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi.
2. The Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur.
3. The Engineering Projects (India) Limited.
4. Bharat Heavy Electricals Limited.
5. H.M.T. Bearing Limited.
6. H.M.T. Limited
7. H.M.T. International Limited.
8. Scooters India Limited.
9. Maruti Udyog Limited
10. Andrew Yule and Co. Limited.
11. Bharat Ophthalmic Glass Limited.
12. Bharat Leather Corporation.
13. Cement Corporation of India Limited.
14. Cycle Corporation of India Limited.
15. Hindustan Cables Limited.
16. Hindustan Paper Corporation Limited.
17. ~~Hindustan Photo-Films Manufacturing Co. Limited.~~
18. Hindustan Salts Limited.
19. Hooghly Printing Co. Limited.
20. Instrumentation Limited.
21. The Mandya National Paper Mills Limited.
22. Nagaland Pulp and Paper Co. Limited.
23. National Bicycle Corporation of India Limited.
24. The National Industrial Development Corporation Limited.
25. National Instruments Limited.
26. N.E.P.A. Limited.
27. Rajasthan Electronics and Instruments Limited.
28. Hindustan Newsprint Limited.
29. Damodar Cement and Slag Limited.
30. Tannery and Footwear Corporation of India Limited.
31. Tyre Corporation of India.
32. Praga Tools Limited.
33. Rehabilitation Industries Corporation.
34. Sambhar Salts Limited.
35. Fluid Control Research Institute.
36. Bharat Bhari Udyog Nigam Limited

**SUBSIDIARIES :**

- (i) Bharat Brakes and Valves Limited.
- (ii) Bharat Process and Mechanical Engineers Limited.
- (iii) Bharat Wagon and Engineering Co. Limited.
- (iv) Braithwaite and Co. Limited.
- (v) Burn Standard Co. Limited.
- (vi) Jessop and Co. Limited.
- (vii) The Lagan Jute Machinery Co. Limited.
- (viii) Braithwaite, Burn and Jessop Construction Limited.



- (ix) Reyrolle Brun Limited.
- (x) Weighbird (India) Limited.

37. Bharat Yantra Nigam Limited.

**SUBSIDIARIES :**

- (i) The Triveni Structural Limited, Allahabad.
- (ii) The Tungabhadra Steel Products (India) Limited, Durgapur.
- (iii) The Bharat Heavy Plates and Vessels Limited.
- (iv) Bharat Pumps and Compressors Limited.
- (v) Richardson and Cruddas (1972) Limited.
- (vi) Bridge and Roof Company. "

(D) under the heading "MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (JAL-BOOTHAL PARIWAHAN MANTRALAYA)", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"I. THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST 1 OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA :

1. Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the mercantile marine.
2. Lighthouses and lightships.
3. Administration of the Indian Ports Act, 1908, (15 of 1908) and Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and ports declared as major ports.
4. Compulsory insurance of motor vehicles.
5. Administration of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).
6. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.
7. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.
8. Ship-building and ship-repair industry.
9. Fishing vessels industry.
10. Floating craft industry.

II. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES :

11. Roads other than National Highways.
12. Tramways including elevated high speed trams within municipal limits or any other contiguous zone.
13. Inland waterways and traffic thereon.
14. Administration of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and taxation of motor vehicles.
15. Vehicles other than mechanically propelled vehicles.

III. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES OF THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS AND THE LAKSHADWEEP :

16. Organisation and maintenance of mainland islands and interislands shipping services.

IV. OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED UNDER THE PREVIOUS SUB HEADS :

17. Central Road Fund.
18. Coordination and Research pertaining to Road Works.
19. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than rural roads and the road works in the tribal areas in the states of Assam and Meghalaya specified in Parts I and II of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.
20. Motor vehicles legislation.
21. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.

451 GI/97

22. Planning of road and inland waterways transport.
  23. Promotion of Transport Cooperatives in the field of motor transport and inland water transport.
  24. Development of townships of Gandhidham.
  25. Legislation relating to and coordination of the development of minor and major ports.
  26. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.
  27. To make shipping arrangements for and on behalf of the Government of India /Public Sector Undertakings/State Governments/State Government Public Sector Undertakings and autonomous bodies in respect of import of cargo on FOB/FAS and export on C&F/CIF basis.
  28. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of ports, shipping, roads and inland waterways.
- V. SUBORDINATE OFFICES :
29. Directorate General of Shipping.
  30. Andaman Lakshadweep Harbour Works.
  31. Directorate General of Lighthouses and Lightships.
  32. Minor Ports Survey Organisation.
- VI. AUTONOMOUS BODIES :
33. Port Trusts at Mumbai, Calcutta, Kochi, Kandla, Chennai, Mormugao, Jawahar Lal Nehru (Nhava Sheva), Paradip, Tuticorin, Visakhapatnam and New Mangalore.
  34. Dock Labour Boards at Calcutta, Kandla, Chennai, Mormugao and Visakhapatnam.
  35. Inland Waterways Authority of India.
  36. Seamen's Provident Fund Organisation.
  37. National Highways Authority of India.
- VII. SOCIETIES/ASSOCIATIONS :
38. National Institute of Port Management.
  39. National Ship Design and Research Centre.
  40. National Institute of Training for Highway Engineers.
  41. Seafarers Welfare Fund Society.
- VIII. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS :
42. Shipping Corporation of India.
  43. Hindustan Shipyard Limited.
  44. Cochin Shipyard Limited.
  45. Central Inland Water Transport Corporation Limited.
  46. Indian Road Construction Corporation.
  47. Dredging Corporation of India.
  48. Hooghly Dock and Ports Engineers Limited.
- IX. INTERNATIONAL ASPECTS :
49. International Maritime Organisation.
- X. ACTS :
50. Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908).
  51. Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917).
  52. Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).
  53. Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).
  54. National Highway Act, 1956 (48 of 1956).
  55. Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).
  56. Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

57. Scamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).
58. Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985).
59. Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).
60. National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988).
61. Multimodal Transportation of Goods Act, 1993 (28 of 1993).";

(c) under the heading "MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA)", after entry 35, the following entry shall be added, namely :—

- "36. All matters relating to Minority Communities except matters relating to law and order."

SHANKER DAYAL SHARMA,  
PRESIDENT

[File No. 1/22/1/97-Cab.]  
DHIRENDRA SINGH, Jt. Secy.

